ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) नई दिल्ली में मार्च, 1992 को हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों का शीघ्र निपटान करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमेंबाजी में फंसी 75 प्रतिशत भूमि को मुकदमेंबाजी से अवश्य मुक्त किया जाए ताकि पात्र भूमिहीन गरीब लोगों को उसका वितरण किया जा सके। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकारों को उपर्युक्त उपाय करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारों से संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने अथवा उनके परामर्श से विशेष न्यायपीठें गठित करने का भी अनुरोध किया गया था। वास्तव में बिहार, केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरणों की स्थापना हेतु पहले ही कानून बनाए गये हैं। गुजरात तथा महाराष्ट्र में भी भूमि सुधार न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं जबकि बिहार में विशेष न्यायापीठ गठित किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय द्वारा भूमि से संबंधित मुकद्दमेंबाजी के मामलों के निपटान के लिए सप्ताह में एक दिन निश्चित किया गया है। राज्य में दो अतिरिक्त प्राथमिक न्यायाधिकरणों और छः पूर्ण कालिक जिला स्तरीय अपील न्यायाधिकरणों का भी गठन किया गया है। इन उपायों के अलावा, राजस्व न्यायालयों में लम्बित 75 प्रतिशत भूमि तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित 10 प्रतिशत भूमि को चालू वर्ष के लिए फालतू भूमि के वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों में शामिल किया गया है

राज्यों द्वारा भेजी गई नवीनतम सूचना के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में निपटान हेतु 23936 मामले लम्बित हैं। राज्य-वार सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा

क्रमांक	राज्य का नाम	विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	3396
2	असम	असूचित
3	बिहार	2539
4	गुजरात	1903
5	हरियाणा	असूचित
6	हिमाचल प्रदेश	असूचित
7	जम्मू व कश्मीर	0
8	कर्नाटक	3354
9	केरल	1751
10	मध्य प्रदेश	1556
11	महाराष्ट्र	818
12	मणीपुर	असूचित
13	उड़ीसा	असूचित
14	पंजाब	1735
15	राजस्थान	असूचित
16	तमिलनाडु	537
17	त्रिपुरा	8
18	उत्तर प्रदेश	6282
19	पश्चिम बंगाल	असूचित
20	दादर व नगर हवेली	3
21	दिल्ली	असूचित
22	पांडिचेरी	54
	कुल.	23936

गांवों में पेयजल की उपलब्धता

1508. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उन गांवों की संख्या कितनी है जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कितने गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा :

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट में कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सभी गांवों को कितने समय में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) :

(क) 1980 और 1985 के सर्वेक्षणों में पहचाने गये समस्याग्रस्त गांवों जिन्हें अभी सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना है, के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

क्रम० संख्या	राज्य का नाम	1-2-1994 को समस्याग्रस्त गांव
1	असम	7
2	जम्मू व कश्मीर	187
3	गुजरात	9
4	महाराष्ट्र	22
5	मेघालय	196
6	उड़ीसा	2
7	राजस्थान	46
8	त्रिपुरा	3
9	उत्तर प्रदेश	68
	कुल	540

(ख) इन सभी गांवों को वर्ष 1993-94 के दौरान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तथापि, इन गांवों में से कुछ गांव 1994-95 में कवर किये जाने के लिए बकाया रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से कवर किये गये सभी गांवों और नये सिरे से पता लगायी गयी, कवर न की गयी बस्तियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर किया जायेगा।

(ग) जी, हां

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन/त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया परिव्यय क्रमश. 4954.52 करोड़ रुपए और 5100.00 करोड़ रुपए है। 1991-94 के सर्वेक्षण के अनुसार आंशिक रूप से कवर की गयी और बिना जल स्रोत वाली सभी बस्तियों में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है।

Supply of drinking water for SCs/STs areas on Tamil Nadu

1509. SHRI S. AUSTIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the target fixed and achievements made for supply of drinking water in rural and tribal areas particularly for SCs and STs in Tamil Nadu during the Seventh Plan period ;

(b) the targets fixed to solve the problem of drinking water during the Eighth Five Year Plan ; and

(c) the number of villages where drinking water facility is proposed to be provided in the State during the Eighth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) to (c) The targets fixed and achievements during the Seventh Five Year Plan and first two years of Eighth Five Year Plan, in terms of coverage of villages/habitations and rural population including Scheduled Castes and Scheduled Tribes is given at Statement (*See* below).

The targets for the remaining three years (1994-95 to 1996-97) of the Eighth Plan will be fixed on year to year basis. However, as per the Eighth Plan document the entire uncovered/partially covered population wil be provided safe drinking water facilities by the end of 1996-97.